



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1481]
No. 1481]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 2006/अग्रहायण 23, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2006/AGRAHAYANA 23, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2098(अ).—प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन), अधिनियम, 2005 (2005 का 30) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 को उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों के प्रदत्त होने की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. 7/67/2005-बीओए(ि)]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2006

S.O. 2098(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 (30 of 2005), the Central Government hereby appoints the fourteenth day of December, 2006, as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 7/67/2005-BOA(ि)]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.